संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./एमओ-जेएसएस/2018/312 भोपाल, दिनांक 15/06/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जिला - राजगढ़, रीवा, बड़वानी, धार, अनुपनुर, सतना, उज्जैन एवं सिवनी

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय - उज्जैन
मध्य प्रदेश

विषय : चिकित्सा अधिकारियों के लिये जन स्वास्थ्य संस्थान, गनियारी में आधारभूत प्रशिक्षण।

जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी एक स्वयं सेवी संस्था है, यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के समीप स्थित है। इस संस्था का उद्देश्य न्यूनतम लागत में स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित निवारक (Preventive) एवं रोग निवारक (Curative) सुविधाऐं क्षेत्र के गरीब एवं आदिवासी जनता को सुलभ एवं प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराना है। जन स्वास्थ्य सहयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी संस्था की वेब साईट http://www.jssbilaspur.org/about-jss/ पर देखी जा सकती है।

जन स्वास्थ्य सहयोग के माध्यम से प्रदेश के नव नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये एक सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण की श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। प्रशिक्षण का प्रथम सत्र **दिनांक 25-30 जून 2018** तक आयोजित किया जाएगा जिसमें 10-12 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु निम्न चिकित्सा अधिकारियों को नामांकित किया जाता है-

क्रं.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थल	जिला
1.	डॉ स्वाती किरार	प्रा स्वा के तलेन	राजगढ़
2.	डॉ गोपाल परमार	प्रा स्वा के इकलेरा	राजगढ़
3.	डॉ सुनीता वर्मा	सा स्वा के नईगढी	रीवा
4.	डॉ सुनील मनोहर सिंह	सा स्वा के चाकघाट	रीवा
5.	डॉ चिन्मय चिंचोलीकर	प्रा स्वा के दवाना	बड़वानी
6.	डॉ वरुन सिंह चंदेल	प्रा स्वा के दसई	धार
7.	डॉ मुकेश शर्मा	सा स्वा के जैथारी	अनुपपुर
8.	डॉ प्रवीण कुमार शर्मा	प्रा स्वा के साकरा	अनुपपुर
9.	डॉ अनामिका राय	प्रा स्वा के कुंआ	सतना
10.	डॉ कायनात कुरेशी	सि अ उज्जैन	उज्जैन
11.	डॉ धर्मेंद्र सिंह राजपूत	प्रा स्वा के भोमा	सिवनी
12.	डॉ सौरभ पुरोहित	संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं	भोपाल

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संलग्न सूची अनुसार चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है:-

1. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
2. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था गनियारी अथवा बिलासपुर में संस्थान के द्वारा ट्वीन शेयरिंग आधार पर रहेगी।
3. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधी के लिये यात्रा/दैनिक भत्तें का भुगतान शासकीय नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रशिक्षण मद से किया जावेगा।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नही करने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उक्त अवधि में कार्य से अनुपस्थित माना जावेगा।
5. प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति लिये अनुपस्थित रहने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
6. प्रशिक्षण में सिमीत संख्या में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा अत: प्रशिक्षण में केवल संचालनालय द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी।
7. नामांकित चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, प्रशिक्षण में भाग नही लेने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी से प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि वसूली योग्य होगी।
8. नामांकित अधिकारी यदि किसी विशेष कारणवश प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ हो तो इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति ई-मेल आईडी **munshi.rakesh@gmail.com** पर प्राप्त करना आवश्यक है।
9. प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों को जन स्वास्थ्य सहयोग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, ठहरने की व्यवस्था एवं रेलवे स्टेशन से संस्थान पहुँचने के लिये वाहन व्यवस्था हेतु डॉ रवींद्र कुरबड़े से 9221243418 अथवा सुश्री रोजलीन से 8018236971 पर संपर्क किया जा सकता है।

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./प्रशि./एमओ-जेएसएस/2018/313 भोपाल, दिनांक 15/06/2018

प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
3. डॉ रमन कटारिया, जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
4. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश